

Terms of Reference

Senior Consultant (Finance), PM-Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, MoHFW - 1 Position

National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi on behalf of Ministry of Health & Family Welfare is seeking applications from qualified candidates for the above mentioned post purely on contractual basis.

Background

PM-ABHIM scheme was launched to fill critical gaps in health infrastructure, surveillance and health research – spanning both the urban and rural areas so that the communities are Atmanirbhar in managing such pandemic/ health crises.

National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi on behalf of Ministry of Health & Family Welfare is seeking applications from qualified candidates purely on contractual basis.

Objective

Senior Consultant Finance under PM-ABHIM in MoHFW is to oversee the overall financial management of the scheme to support the programme division. The position will work under overall guidance of DS/ Director (PM-ABHIM) and shall work in close coordination with NHM-Finance.

Responsibilities:

1. Supporting donor fiduciary compliances of ADB, World Bank and JICA on annually/ half-yearly/ quarterly basis as required.
2. Follow up on the internal audit reports from States/UTs on PM-ABHIM and ensuring necessary compliances on the auditor observations for onward submission to the donors.
3. Coordination for all Technical Assistance (TA) activities supported by different donors.
4. Coordination with IH division and the programme division for timely preparation of withdrawal applications and submission of claims for loan reimbursement from donors.
5. Providing support in strengthening internal audit mechanisms and internal control systems at the States.
6. To conduct financial analysis of the programme activities under PM-ABHIM to assist and facilitate decision making.
7. Identification of the weak performing states and to undertake state visits to provide support in overall financial management including booking of expenditure, reporting systems and audit compliances.
8. Release of funds under PM-ABHIM. Follow up on the expenditure and utilization certificates.
9. To support in financial vetting of the State Programme Implementation Plans (PIPs) including re-appropriations / supplementary proposed by the States/UTs.
10. Provide support and handholding in implementation of Public Financial Management System (PFMS) and SNA by the States/UTs and implementing agencies.
11. Support and coordination on the financial progress of activities under CS, CSS and 15th FC components covered under PM-ABHIM.
12. Conduct training and capacity building workshops/ orientation programmes at the State/ District/ Block level/ City level for different stakeholders on financial management systems/ processes including accounting, reporting and internal controls etc.
13. Participate and support in conducting workshops/ conferences/ meetings under PM-ABHIM.
14. Joint team visits to States/UTs with the programme team and NHM-Finance for review of PM-ABHIM activities and financial progress.
15. Coordination with NHM-Finance on the financial data for Parliament Questions/ Committees, CAG & DGACE audits, RTI and VIP references etc.

16. Undertake any other activities/ tasks from time to time as assigned by MoHFW and the reporting officer.

Essential Qualifications/ Requirements

1. CA/ MBA (Finance) / Master Degree in Commerce/PGDBM (Finance) /PGDBA (Finance) from a recognized Institution.
2. Minimum experience of atleast 6 (six) years in social sector/ government sector. Prior experience of working in Government Health Schemes / NHM will be an added advantage.
3. Knowledge of GFR, funds flow management and government accounting systems/ processes.
4. Knowledge of PIPs, budgets and funding pertaining to NHM. Implementing PFMS and handling of budgets and finance related activities including coordination with external agencies and other government department.
5. Advance knowledge of computers with ability to work on new softwares.

Reporting:

The Senior Consultant (Finance) will be reporting to DS/Director, NHM, MoHFW.

Contract period:

The engagement will purely on contractual basis initially for a period upto 31st March 2024. However, subject to satisfactory performance, consultancy may be renewed for further period , purely at the discretion of MOHFW, GOI. The consultancy can however, be terminated by either party by giving a notice of one month writing.

No. of position : 1 (One)

Location: Delhi

Other conditions: As per extant GoI/MoHFW

Age Limit: Upto 55 years (As on the last date of receiving application.)

Remuneration: Between Rs. 90,000/- to Rs. 1,50,000/-

How to apply: Candidates are requested to fill the online application correctly which is available on the NHSRC website (<http://nhsrcindia.org>). Applications will be accepted in the prescribed online application format only. The last date for receiving applications is **13-Jun-2023**.

संदर्भ शर्तें (टीओआर)

सीनियर कंसल्टेंट फाइनांस, पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर उपर्युक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

पृष्ठभूमि

पीएम-एबीएचआईएम योजना को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए शुरू किया गया था ताकि समुदायों को इस तरह की महामारी/स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

उद्देश्य

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में पीएम-एबीएचआईएम के तहत सीनियर कंसल्टेंट फाइनांस को कार्यक्रम प्रभाग का समर्थन करने के लिए योजना के समग्र वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करनी है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति डीएस/निदेशक (पीएम-एबीएचआईएम) के समग्र मार्गदर्शन में और एनएचएम-वित्त के साथ निकट समन्वय में काम करेगा।

उत्तरदायित्व:

1. आवश्यकतानुसार वार्षिक/छमाही/त्रैमासिक आधार पर एडीबी, विश्व बैंक और जेआईसीए के दाता प्रत्ययी अनुपालन में समर्थन।
2. पीएम-एबीएचआईएम पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट का फोलोअप और विभिन्न दाताओं को प्रस्तुत करने के लिए लेखा परीक्षक टिप्पणियों पर आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करना।
3. विभिन्न दाताओं द्वारा समर्थित सभी तकनीकी सहायता (टीए) गतिविधियों के लिए समन्वय।
4. निकासी आवेदन और दाताओं से ऋण प्रतिपूर्ति के दावों को प्रस्तुत करने की समय से तैयारी के लिए आईएच प्रभाग और कार्यक्रम प्रभाग के साथ समन्वय।
5. आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में सभी राज्यों को सहायता प्रदान करना।
6. सहायता करने और निर्णय लेना सुगम बनाने के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत कार्यक्रम की गतिविधियों का वित्तीय विश्लेषण करना।
7. कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की पहचान करना और व्यय की बुकिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम और ऑडिट अनुपालन सहित समग्र वित्तीय प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों का दौरा करना।
8. पीएम-एबीएचआईएम के तहत धन जारी करना। व्यय और उपयोग प्रमाण पत्र पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
9. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तावित पुनर्विनियोजन/अनुपूरक सहित राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के वित्तीय पुनरीक्षण में सहायता करना।
10. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और एसएनए के कार्यान्वयन में सहायता और हैंडहोल्डिंग।
11. सीएस, सीएसएस और पीएम-एबीएचआईएम के तहत शामिल 15वें वित्त आयोग के घटकों के अंतर्गत गतिविधियों की वित्तीय प्रगति पर समर्थन और समन्वय।

12. एकाउंटिंग, रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण इत्यादि सहित वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों/प्रक्रियाओं के बारे में विभिन्न हितधारकों के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/शहर स्तर पर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाएं/ऑरिएंटेशन कार्यक्रम संचालित करना।

13. पीएम-एबीएचआईएम के तहत कार्यशालाएं/सम्मेलन/ बैठकें आयोजित करने में भागीदारी एवं सहयोग।

14 पीएम-एबीएचआईएम गतिविधियों और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए प्रोग्राम टीम और एनएम-फाइनेंस के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त टीम यात्रा।

15 संसदीय प्रश्नों/समितियों, सीएजी और डीजीएसीई ऑडिट्स, आरटीआई और वीआईपी संदर्भ आदि के लिए वित्तीय आंकड़ों के बारे में एनएम-फाइनेंस के साथ समन्वय।

16 समय-समय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रिपोर्ट देने वाले अधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य/गतिविधि करना।

अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं/आवश्यकताएं

1. मान्यता प्राप्त संस्थान से सीए/एमबीए (फाइनांस)/वाणिज्य में मास्टर डिग्री/पीजीडीबीएम(फाइनांस) पीजीडीबीए (फाइनांस)

2. सामाजिक क्षेत्र/ सरकारी क्षेत्र में कम से कम 6 (छह) वर्ष का न्यूनतम अनुभव। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं/एनएचएम में काम करने का पूर्व अनुभव का अतिरिक्त लाभ होगा।

3 जीएफआर, धन प्रवाह प्रबंधन और सरकारी लेखा प्रणाली/प्रक्रियाओं का ज्ञान।

4 एनएचएम से संबंधित पीआईपी, बजट और वित्त पोषण का ज्ञान। पीएफएमएस को लागू करना और बाहरी एजेंसियों और अन्य सरकारी विभाग के साथ समन्वय सहित बजट और वित्त संबंधी गतिविधियों का अनुभव।

5. नए सॉफ्टवेयर पर काम करने की क्षमता के साथ कंप्यूटर का उन्नत ज्ञान।

रिपोर्टिंग: सीनियर कसन्टेंट (फाइनांस) डीएस/निदेशक, एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे।

अनुबंध अवधि:

नियुक्ति विशुद्ध रूप से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर होगी, हालांकि, विशुद्ध रूप से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विवेक से संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, कनसल्टेंसी को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। तथापि किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का लिखित नोटिस देकर कनसल्टेंसी को समाप्त किया जा सकता है।

पदों की संख्या: 1 (एक)

स्थान: दिल्ली

अन्य शर्तें: भारत सरकार/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्तमान शर्तों के अनुसार

आयु सीमा: 55 वर्ष तक (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक)।

परिलब्धियां: रुपये 90,000 से रु. 1,50,000/- प्रति माह के बीच।

आवेदन कैसे करें: उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएमआरसी की वेबसाइट <http://nhsrcindia.org> पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **13-Jun-2023** है।